झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 05 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री बाबूलाल कुँटिया एवं अन्य, ग्रा०- कुपुई, प्र०- चक्रधरपुर, प०सिंहभूम।

बनाम

प्रतिवादी DSO, प०सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0.05/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.02.2023	परिवादी श्री बाबूलाल कुंटिया एवं अन्य; ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम का परिवाद पत्र दिनांक–17.01.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें परिवादी द्वारा चक्रधरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बाईपी गांव के PDS वितरक निम्बू बा स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध निम्न आरोप लगाए गए हैं:– 1. माह जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक अर्थात छः माह तक PMGKAY एवं NFSA के तहत् मिलने वाला अनाज 89 कार्डधारियों को नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है। 2. माह सितम्बर से दिसम्बर, 2022 तक अर्थात कुल 4 माह का PMGKAY एवं NFSA का अनाज कुल 61 कार्डधारियों को नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है। 3. ग्रीन राशन कार्डधारियों को माह जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक का राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख है। परिवादी द्वारा पूर्व में भी दिनांक–27.12.2022 को उक्त राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच DGRO, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक–3079 दिनांक–30.12.2022 द्वारा इस मामले में पारित आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई, जिसमें PDS वितरक को निलंबित किये जाने का उल्लेख मिलता है किन्तु शिकायतकर्ताओं के बकाया/लंबित खाद्यान्न वितरण के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इस कारण आयोग के पत्रांक–22 दिनांक–05.01.2023 द्वारा DGRO, पश्चिमी सिंहभूम से उक्त मामले से संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं लाभुकों के लंबित/बकाया अनाज का वितरण शीघ्र कराने एवं प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जो अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त परिस्थिति में दिनांक–17.01.2023 को परिवादी द्वारा समर्पित किये गये इस अपील आवेदन को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। मामले में सुनवाई दिनांक–14.03.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

वाद सं0- 05/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। शिकायतकर्ता की बातों से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहमत हैं। उनका कहना है कि इलाके में नेटवर्क नहीं होने के कारण डीलर को आवंटन कम मिला था। इसलिए कुछ लाभुकों को राशन वितरण नहीं किया जा सका। आयोग ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि PDS डीलर के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही हैं। आयोग का मानना है कि निलंबन की प्रक्रिया शुरू करना प्रर्याप्त नहीं है यदि डीलर ने राशन वितरित नहीं किया है और उसे राशन उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे डीलरों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराया जा सकता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि 15 दिनों के अन्दर सभी को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय और जिनको उस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं हुआ है, उनको उस अवधि का राशन मुआवजा सहित उपलब्ध कराएँ, जो कि 1.25 गुणा बनता है। आयोग के आदेश का अनुपालन यदि 15 दिनों के अन्दर करने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को नहीं भेजा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ NFSA के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन लोगों से पंचिंग करा लिया जाता है और कहा जाता है कि राशन बाद में ले जाना इस प्रक्रिया में पूर्व माह का राशन गायब कर लिया जाता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश देता है कि इस मामले में स्थलीय जांच कर यथा शीघ्र आयोग को अवगत कराएँ। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx16

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–05 / 2023

19.04.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने यह कहा कि लाभुक अनाज लेने को इच्छुक नहीं है। लेकिन सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम की बातों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें डीलर द्वारा 01 कि0ग्रा0 कम अनाज लेने के लिये बाध्य किया जाता है, इसलिए उन्होंने अनाज लेने से इंकार कर दिया है। आयोग शिकायतकर्ता की सराहना करता है। आयोग चाहता है कि हर लाभुक अपने अधिकारों के लिये तब तक लड़े, जब तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल जाता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे ऐसे सभी लाभुक जिन्हें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया या जिन्होंने कम अनाज दिए जाने पर अनाज लेने से इंकार किया है, उन सभी को सवा गुणा मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर आयोग को भेजें एवं जिस डीलर द्वारा कम अनाज देने की बात कहा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि अगली सुनवाई तक नहीं भेजा गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–16.05.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–05 / 2023

16.05.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ताओं को सवा गुणा मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें माह अक्टूबर, 2022 में चावल नहीं मिला है, माह नवंबर, 2022 में कुछ ही लाभुकों को अनाज मिला है। माह दिसम्बर, 2022 में चावल नहीं दिया गया, सिर्फ गेहूँ दिया गया। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि माह अक्टूबर में चावल आया ही नहीं एवं माह दिसम्बर, 2022 में भी चावल नहीं आया। आयोग ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकता है एवं प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा शिकायतकर्ताओं को भुगतने नहीं दे सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि वे माह जनवरी, 2022 से लेकर अब तक किस–किस माह आवश्यक अनाज की मात्रा के विरूद्ध कितना अनाज उनके जिला को मिला, कब मिला और यदि किसी माह में अनाज नहीं मिला या आवश्यक मात्रा से कम मिला, तो उनके द्वारा राज्य सरकार से किये गये पत्राचार की प्रति आयोग को भेजें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम 07 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि आयोग अग्रेत्तर कार्रवाई कर सके।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–05 / 2023

30.05.2023
08/06/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बाबुलाल कुंटिया एवं अन्य, ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने आयोग को अपना लिखित प्रतिवेदन भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज की प्रति संलग्न कर विभागीय सचिव को पत्र भेजते हुए इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करें। क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। जिले में आवंटन न मिलना एवं कुछ वजह से लाभुकों को अनाज नहीं मिलना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों की अनदेखी एवं उल्लंघन है। ऐसे में सम्बन्धित लाभुकों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराने हेतु अनाज का आवंटन तत्काल भेजा जाय एवं सभी लाभुकों को 1.25 गुना मुआवजा के साथ पिछला अनाज उपलब्ध कराया जाय।

आयोग के आज के आदेश पर अग्रेत्तर कार्रवाई पर सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–05 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बाबुलाल कुंटिया एवं अन्य, ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम दोनों उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि विभाग द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग ने इस संदर्भ में विभागीय सचिव को पत्र लिखा है। शिकायतकर्ता का आग्रह है कि विभागीय सचिव को खाद्य आयोग द्वारा भेजे गये पत्र की प्रति उन्हें उपलब्ध कराया जाय। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि विभागीय सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजे गये पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को भेज दिया जाय। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता को उन माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है, जिस माह का आवंटन जिले को भेजा गया था। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि बकाया राशन उन्हें मुआवजा के साथ उपलब्ध करा दिया गया है।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

19.6.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

19/6/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।